विषय सूची

CONTENTS

		Page / पृष्ठ
1. प्रस्तावना	**1. Introduction**	iii-iv
2. अनुदानों की मांगों का सारांश	**2. Summary of Demands for Grants**	v-xiv
3. अनुदानों की मांगें	**3. Demands for Grants**	
कृषि मंत्रालय	Ministry of Agriculture	1-3
परमाणु ऊर्जा विभाग	Department of Atomic Energy	4-5
रसायन और उर्वरक मंत्रालय	Ministry of Chemicals and Fertilisers	6-8
नागर विमानन मंत्रालय	Ministry of Civil Aviation	9
कोयला मंत्रालय	Ministry of Coal	10
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय	Ministry of Commerce and Industry	11-12
संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय	Ministry of Communications and Information Technology	13-15
उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय	Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution	16-17
कारपोरेट कार्य मंत्रालय	Ministry of Corporate Affairs	18
संस्कृति मंत्रालय	Ministry of Culture	19
रक्षा मंत्रालय	Ministry of Defence	20-27
पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय	Ministry of Development of North Eastern Region	28
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय	Ministry of Earth Sciences	29
पर्यावरण और वन मंत्रालय	Ministry of Environment and Forests	30
विदेश मंत्रालय	Ministry of External Affairs	31
वित्त मंत्रालय	Ministry of Finance	32-44
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय	Ministry of Food Processing Industries	45
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय	Ministry of Health and Family Welfare	46-48
भारी उद्योग और सरकारी उद्यम मंत्रालय	Ministry of Heavy Industries and Public Enterprises	49-50
गृह मंत्रालय	Ministry of Home Affairs	51-55
आवास तथा गरीबी उन्मूलन मंत्रालय	Ministry of Housing and Urban Poverty Alleviation	56
मानव संसाधन विकास मंत्रालय	Ministry of Human Resource Development	57-58
सूचना और प्रसारण मंत्रालय	Ministry of Information and Broadcasting	59
श्रम और रोजगार मंत्रालय	Ministry of Labour and Employment	60
विधि और न्याय मंत्रालय	Ministry of Law and Justice	61-63
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय	Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises	64
खान मंत्रालय	Ministry of Mines	65
अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय	Ministry of Minority Affairs	66
नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय	Ministry of New and Renewable Energy	67
प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय	Ministry of Overseas Indian Affairs	68
पंचायती राज मंत्रालय	Ministry of Panchayati Raj	69
संसदीय कार्य मंत्रालय	Ministry of Parliamentary Affairs	70
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय	Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions	71
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	Ministry of Petroleum and Natural Gas	72
योजना मंत्रालय	Ministry of Planning	73
विद्युत मंत्रालय	Ministry of Power	74
राष्ट्रपति, संसद, संघ लोक सेवा आयोग और उपराष्ट्रपति का सचिवालय	The President, Parliament, Union Public Service Commission and the Secretariat of the Vice-President	75-79

		Page / पृष्ठ
ग्रामीण विकास मंत्रालय	Ministry of Rural Development	80-82
विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय	Ministry of Science and Technology	83-85
पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	Ministry of Shipping, Road Transport and Highways	86-87
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय	Ministry of Social Justice and Empowerment	88
अन्तरिक्ष विभाग	Department of Space	89
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय	Ministry of Statistics and Programme Implementation	90
इस्पात मंत्रालय	Ministry of Steel	91
कपड़ा मंत्रालय	Ministry of Textiles	92
पर्यटन मंत्रालय	Ministry of Tourism	93
जनजाति कार्य मंत्रालय	Ministry of Tribal Affairs	94
संघ राज्य क्षेत्र (विधानमंडल रहित)	Union Territories (Without Legislature)	95-122
शहरी विकास मंत्रालय	Ministry of Urban Development	123-125
जल संसाधन मंत्रालय	Ministry of Water Resources	126
महिला और बाल विकास मंत्रालय	Ministry of Women and Child Development	127
युवा कार्य और खेल मंत्रालय	Ministry of Youth Affairs and Sports	128
4. नई सेवा/सेवा के नए साधन दर्शाने वाला विवरण	**4. Statement showing details of New Service/New Instrument of Service**	129-132

प्रस्तावना

संविधान के अनुच्छेद 113 के खण्ड (2) में यह अपेक्षित है कि वार्षिक वित्तीय विवरण में सम्मिलित, भारत की समेकित निधि में से किए जाने वाले व्यय के वे अनुमान, जो इस निधि पर भारित नहीं होते, अनुदानों की मांगों के रूप में लोक-सभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किए जाएंगे। सामान्यतः प्रत्येक मंत्रालय/विभाग के संबंध में एक मांग प्रस्तुत की जाती है। तथापि, कुछ बड़े-बड़े मंत्रालयों/ विभागों के संबंध में एक से अधिक मांग प्रस्तुत की जाती है। प्रत्येक मांग में प्रायः एक सेवा के लिए आवश्यक धनराशि की कुल व्यवस्था दिखाई जाती है अर्थात् इसमें राजस्व खाते का व्यय और उस सेवा के लिए, पूंजी खाते का व्यय (ऋण सहित) दिखाए जाते हैं। यद्यपि भारत की समेकित निधि पर 'भारित' व्यय के अनुमानों के लिए संसद की स्वीकृति लेना आवश्यक नहीं होता, तथापि संविधान के अनुच्छेद 113 के खण्ड (1) के अनुसार ऐसे व्यय के बारे में संसद के दोनों सदनों में से किसी सदन में बहस की जा सकती है। इसलिए अनुदान की मांग में अगर किसी ऐसे खर्च की व्यवस्था होती है, जो भारत की समेकित निधि पर 'भारित' होता है तो उसे मोटे अक्षरों में दिखाया जाता है। जहां किसी सेवा के लिए यह व्यवस्था भारत की समेकित निधि पर पूरी तरह 'भारित' व्यय के लिए होती है जैसे ब्याज संदाय और ऋण की वापसी-अदायगी, तो उसे मांग से पृथक विनियोग के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, यद्यपि उस पर कोई स्वीकृति नहीं मांगी जाती।

2. संसद में वार्षिक वित्तीय विवरण के साथ 2009-2010 के लिए अनुदानों की जो मांगें और विनियोग प्रस्तुत किए गए हैं वे समस्त मंत्रालयों/विभागों के लिए इसी खंड में प्रस्तुत किए गए हैं। लेकिन इन मांगों से पहले मांगों का सारांश प्रस्तुत किया गया है जिसमें 2009-2010 के लिए अनुदानों की मांगों और विनियोगों की पूरी सूची एक साथ दी गई है जिसमें राजस्व खाते और (ऋणों सहित) पूंजी खाते के अंतर्गत ''स्वीकृत'' और ''भारित'' शीर्षों के अधीन प्रत्येक मांग और विनियोग के सामने की गई व्यवस्था की कुल राशि दिखाई गई है। यह सारांश अनुदानों की मांगों और विनियोगों का अभिसूचक प्रलेख भी है।

3. मांगों के संदर्भ में, मंत्रालयों या विभागों के उल्लेख 10 दिसम्बर, 2008 के तत्काल पूर्व विद्यमान मंत्रालयों या विभागों से संबंधित हैं, और उस तारीख को या उसके बाद इससे अभिप्राय यह होगा कि यह उल्लेख समय-समय पर पुनर्गठित संबद्ध मंत्रालयों या विभागों के बारे में है। वर्ष के दौरान विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के निर्धारित कार्य में अधिसूचित परिवर्तनों को इन मांगों में समाविष्ट कर दिया गया है।

INTRODUCTION

Clause (2) of Article 113 of the Constitution requires that so much of the estimates of expenditure from the Consolidated Fund of India included in the Annual Financial Statement as are not 'charged' on the Fund shall be submitted in the form of Demands for Grants for the vote of the Lok Sabha. Normally one Demand is presented in respect of each Ministry/ Department. In respect of some of the large Ministries/ Departments, however, more than one Demand is presented. Each Demand normally includes the total provisions required for a Service, that is to say, expenditure on Revenue Account, as well as expenditure on Capital Account (including Loans) for the Service. Although the estimates of expenditure 'charged' on the Consolidated Fund of India are not required to be voted by Parliament, clause (1) of Article 113 of the Constitution permits discussion thereon in either House of Parliament. Accordingly, a Demand for Grant also shows, distinctly in italics, the provision for expenditure, if any, 'charged' on the Consolidated Fund of India in relation to the Service represented by the Demand. Where the provision for a Service is entirely for expenditure 'charged' on the Consolidated Fund of India, for example, Interest Payments and Repayment of Debt, a separate Appropriation, as distinct from a Demand, is presented, although no vote is sought thereon.

2. The Demands for Grants and the Appropriations for 2009-2010 presented to Parliament along with the Annual Financial Statement are contained in this volume in respect of all the Ministries/ Departments. A Summary of the Demands giving at one place a complete list of the Demands for Grants and Appropriations for 2009-2010, showing against each the total amount of the provision, separately under Revenue Account and Capital Account (including Loans) as well as "Voted" and "Charged", precedes the Demands. This Summary also serves as an Index to the Demands for Grants and Appropriations.

3. References to Ministries or Departments in the Demands are to such Ministries or Departments as existed immediately before December 10, 2008 and shall, on or after that date, be construed as references to the appropriate Ministries/Departments as reconstituted from time to time. Changes in Allocation of Business to the various Ministries/ Departments notified during the year have been given effect to in these Demands.

4. मांगों में सम्मिलित नई सेवा/सेवा के नए साधनों का मदवार विवरण अंत में दिया गया है।

4. A statement showing items of New Service/New Instrument of Service included in the Demands is given at the end.

5. इन मांगों पर टिप्पणियों सहित व्यय की मुख्य मदों/योजनाओं का ब्यौरा 'व्यय बजट' खण्ड 2 नामक एक अलग दस्तावेज में दिया गया है।

5. Details of major items of expenditure/schemes along with the Notes on these Demands are given in a separate document, "Expenditure Budget" Volume 2.